HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 17103/2025

Gangaram Gurjar S/o Prahalad, Aged About 44 Years, R/o Village Dhudhra, Jaipur Road, Ajmer, Police Station Civil Lines, Ajmer. (Presently Confined In Central Jail, Jaipur)

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Krishna Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP Mr. Vimlesh Kumar, S.I., P.S. Chitrakoot, Jaipur(west)

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना चित्रकूट जिला जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 190/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 में पेश किया गया है तथा वाद अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 387 सपठित धारा 120बी, 302 सपठित धारा 115, 201 भा.दं.सं. तथा धारा 25(6) आयुध अधिनियम तथा 42 कारागृह अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.10.2025 के माध्यम से विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.04.2024 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके

विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर किस्म के नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से जो डायरी बरामद हुई है, उक्त डायरी प्रदर्श पी–26 से संबंधित साक्षी पीडब्ल्यू 9 रणवीर सिंह इस प्रकरण में परीक्षित हुआ है, उसने डायरी में अंकित हिसाब/विवरण के संबंध में, जानकारी नहीं होना बताया है। सहअभियुक्त रामस्वरूप जाट उर्फ रामस्वरूप चौधरी उर्फ गजनी का जमानत प्रार्थना पत्र एस.एल.पी नंबर 5203/2025 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इसी प्रकार सहअभियुक्त नरेश कुमार का द्वितीय जमानत प्रार्थना संख्या 3854/2025 आदेश दिनांक 05.08.2025 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा विक्रम सिंह तथा पवन कुमार का आपराधिक पुनर्विचार याचिका संख्या 568/2025 आदेश दिनांक 17.07.2025 को इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया था। उसके बाद प्रकरण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपराधी किस्म का व्यक्ति है। पीडब्ल्यू 9 रणवीर सिंह ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में प्रार्थी/अभियुक्त के दुकान से डायरी बरामद होना बताया है। उसके द्वारा प्रतिपरीक्षा में कहे गए कथनों का विस्तृत विवरण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में तथ्यों के अनुसार गंभीर अपराध के आरोप में अन्य अभियुक्तगण हाई सिक्युरिटी जेल में बंद थे, उनके संपर्क में अन्य

अभियुक्तगण थे। जेल में बंद कैदियों के निर्देश पर ये अभियुक्तगण आम आदमियों पर उनसे अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु दबाव बनाते थे। प्रार्थी/अभियुक्त गंगाराम गुर्जर अजमेर सेल्यूलर जेल में दूध, दही, छाछ पहुंचाने का काम किया करता था। अनुसंधान से यह तथ्य सामने आया है कि फिरौती से प्राप्त रकम नरेश कुमार तथा मनोज सिंह तथा अन्य के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त गंगाराम गुर्जर तक पहुंचाई जाती थी, इन पैसों को जेल के कर्मचारियों को पहुंचाता था, जो बदले में जेल में बंद अपराधियों को सुख–सुविधा प्रदान करते थे। प्रार्थी/अभियुक्त गंगाराम से अनुसंधान में एक डायरी बरामद की गयी जिसके पृष्ठ संख्या 11 व 14 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उसके द्वारा पहले 1,27,000/– रुपए तथा बाद में 2,23,000/– रुपए जेलकर्मी विक्रय सिंह तथा पवन कुमार को दिये जाना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है। उसके विरुद्ध धारा 387 सपठित धारा 120बी, 302 सपठित धारा 115, 201 भा.दं.सं. तथा धारा 25(6) आयुध अधिनियम तथा 42 कारागृह अधिनियम में दंडनीय अपराध का आरोप है।

ऐसी स्थिति में सहअभियुक्त रामस्वरूप जाट के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2025 में अंकित तथ्य, परिस्थितियां, प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कृत्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त विनिश्चय कोई सहायता प्रदान नहीं कर पाता है। पीडब्ल्यू 9 रणवीर सिंह ने डायरी प्रदर्श पी–26 जब्त होना बताया है। डायरी की विश्वसनीयता पर गुणावगुणों पर विचार विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2025 को पारित आदेश के पश्चात इस प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं आया है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सके।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर

टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को द्वितीय जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गंगाराम गुर्जर पुत्र श्री प्रहलाद** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /31